आज़ादी का अमृत महोत्सव

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 15 (12) 2022–23/गोप्र/प्रमुवसं–07671/8526–8551 दिनांक : 05/10/2023

निमित

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक/कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त/ट्री राजस्थान, जयपुर।
2. परियोजना निदेशक आर.एफ.बी.पी. जयपुर।
3. अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक एन.टी.एफ.पी./अरावली वृक्षारोपण परियोजना राजस्थान, जयपुर।
4. उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज. जयपुर।
5. मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर।
6. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) जयपुर/(वन्यजीव) जोधपुर/(वन्यजीव) उदयपुर।
7. मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर (सवाईमाधोपुर)/सरिस्का अलवर)/मुकन्दरा (कोटा)।
8. मुख्य वन संरक्षक वनवर्धन, जयपुर/आर.वी.पी. कोटा/एफ.पी.आर.पी. जयपुर।
9. मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर/निदेशक परिचालन राजस्थान वन विकास निगम लिमिटेड जयपुर/निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान जयपुर।

विषय :– पदोन्नत क्षेत्रीय वन अधिकारी–द्वितीय के कार्यभार ग्रहण करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ 15 (12) 2022–23/गोप्र/प्रमुवसं–07671/8210/सी दिनांक 28.09.2023 द्वारा वनपाल से क्षेत्रीय वन अधिकारी–द्वितीय के पद पर पदोन्नत लोक सेवकों के पदस्थापन आदेश प्रसारित किए गए थे। उक्त आदेश में आपको निर्देशित किया गया था कि सम्बन्धित नियन्त्रण अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष इनको अविलम्ब कार्यमुक्त करते हुए कार्यमुक्त/कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करेगे। सम्बन्धित नियन्त्रण अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष पदोन्नत कार्मिक को कार्यमुक्त करने/कार्यग्रहण कराने से पूर्व सुनिश्चित करें कि कार्मिक निलम्बित/सेवानिवृत्त नहीं हो। जो कार्मिक पदोन्नति का परित्याग करना चाहते है, संबंधित नियन्त्रण अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष उनसे लिखित में पदोन्नति परित्याग का प्रार्थना पत्र प्राप्त करें। प्रार्थना–पत्र प्राप्त ना होने की स्थिति में दिनांक 06.10.2023 तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले कार्मिकों का स्वतः ही पदोन्नति से परित्याग मानते हुए परित्याग का इन्द्राज कार्मिक की सेवापुस्तिका में लाल स्याही से अंकित करते हुए इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से दिनांक 09.10.2023 तक ई–मेल dcfnz.estt.forest@rajasthan.gov.in पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

इस कार्यालय के पत्रांक एफ 15 (10) एल–10/गोप्र/प्रमुवसं/7832–7857/सी दिनांक 28.09.2023 द्वारा दिनांक 03.10.2023 से 18.10.2023 तक इस कार्यालय में कार्मिक अनुभाग से संबंधित सूचनाओं हेतु बैठक का आयोजन किया गया है। अतः आप उक्त संकलित सूचना भी बैठक में निर्धारित दिनांक को निम्न प्रपत्र में प्रेषित करना सुनिश्चित करें :–

1. **क्षेत्रीय वन अधिकारी –द्वितीय को कार्यभार मुक्त करने की सूचना**

क्र. स.	कार्यालय का नाम	पदस्थापन आदेश का क्रमांक	नाम वनपाल	पिता/पति का नाम	कार्यभार मुक्त करने का आदेश क्रमांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7

कॉलम संख्या 6 हेतु कार्यभार मुक्त आदेश संलग्न करें।

2. **क्षेत्रीय वन अधिकारी–द्वितीय द्वारा कार्यग्रहण करने की सूचना**

क्र. स.	कार्यग्रहण कार्यालय का नाम	पदस्थापन आदेश का क्रमांक	नाम वनपाल	पिता/पति का नाम	कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7

कॉलम संख्या 6 हेतु कार्यग्रहण करने का पत्र संलग्न करें।

भवदीय,

(अरिजीत बनर्जी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 15 (12) 2022–23/गोप्र/प्रमुवसं–07671/8552–8560 दिनांक : 5.10.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/अजमेर/कोटा/भरतपुर उक्त सूचना उपरोक्त प्रपत्र में इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से दिनांक 09.10.2023 तक ई–मेल dcfnz.estt.forest@rajasthan.gov.in पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. उप वन संरक्षक/कार्य आयोजना अधिकारी/वन बन्दोबस्त अधिकारी/भू–संरक्षण अधिकारी ।
3. उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन करने हेतु।

(बृज मोहन गुप्ता)
उप वन संरक्षक (अराज.प्रस्था.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान जयपुर

D:\Master Letters\office letters\Forestr Gaurd & Assistant forester Seniority infor..docx